

पैंगोलनि

TRAFFIC और **वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर-इंडिया** की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कविर्ष 2018-2022 तक भारत में अवैध वन्यजीव व्यापार के लिये 1,203 पैंगोलनि (वज़रशल्क) का शिकार किया गया था।

- यह शिकार भारत के 24 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में 342 जब्ती घटनाओं में बरामद किया गया था। जब्ती की सर्वाधिक घटनाएँ ओडिशा में हुईं तथा यहीं से सर्वाधिक पैंगोलनि भी प्राप्त की गई थी।

मुख्य बढि:

- परचिय:
 - पैंगोलनि रात्रचिर स्तनधारी हैं जो बलियों को खोदते हैं तथा चींटियों एवं दीमकों को खाते हैं और पारस्थितिक तंत्र परबंधन में ज्यादातर मटिटी को वातकति करने और नमी जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिते हैं।
 - पैंगोलनि अपने अनोखे रूप के लिये जाने जाते हैं। उनके पास केराटिन के बने शल्क होते हैं जो उनके पूरे शरीर को ढँकते हैं।
 - खतरे की स्थितिमें, तो वे स्वयं की सुरक्षा के लिये गेंद की भाँति रोल हो सकते हैं।



//

- पैंगोलनि की प्रजातियाँ: पैंगोलनि की आठ प्रजातियाँ हैं:
 - अफ्रीका में 4 प्रजातियाँ: ब्लैक-बेल्ड पैंगोलनि, व्हाइट-बेल्ड पैंगोलनि, जाइंट ग्राउंड पैंगोलनि और टेम्मक्स ग्राउंड पैंगोलनि।

- एशिया में 4 प्रजातियाँ: भारतीय पैंगोलिन, फलिपीन पैंगोलिन, सुंडा पैंगोलिन और चीनी पैंगोलिन।
- प्राकृतिक आवास:
 - यह प्राथमिक और द्वितीयक उष्णकटिबंधीय जंगलों, चूना पत्थर और बाँस के जंगलों, घास के मैदानों और कृषिक्षेत्रों सहित आवासों की एक वसिस्त शृंखला के लिये अनुकूलनीय है।
 - भारतीय पैंगोलिन भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है जबकि चीनी पैंगोलिन की उपस्थिति बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में देखी गई है।
- खतरा या भय:
 - इसकी आबादी, जो कभी व्यापक स्तर पर थी, इनके प्राकृतिक अधवास के क्षरण तथा त्वचा और मांस के लिये बड़े पैमाने पर अवैध शिकार के कारण तीव्र गति से घट रही है।
 - पैंगोलिन विश्व स्तर पर सबसे अधिक तस्करी किये जाने वाले जंगली स्तनधारियों में से हैं, जिनका व्यापार ज़्यादातर एशिया में होता है, जहाँ उनके शल्कों का प्रयोग औषधीय प्रयोग हेतु करते हैं तथा उनके मांस को स्वादुष्टि माना जाता है।
- संरक्षण की स्थिति:
 - अंतरराष्ट्रीय प्रकृत संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature- IUCN) द्वारा प्रकाशित जानवरों की रेड लिस्ट में भारतीय पैंगोलिन को लुप्तप्राय (Endangered -EN) श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।
 - जबकि चीनी पैंगोलिन को "गंभीर रूप से लुप्तप्राय" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
 - भारत में भारतीय और चीनी दोनों पैंगोलिन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित हैं, जो इसके शिकार, व्यापार या किसी अन्य प्रकार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।
 - पैंगोलिन की सभी प्रजातियाँ वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (Convention on International Trade in Endangered Species- CITES) के परशिष्टि I में सूचीबद्ध हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखिति प्राणियों पर वचिर कीजयि (2021)

1. जाहक (हेज्हाँग)
2. शैलमूषक (मारमॉट)
3. वज्रशल्क (पैंगोलिन)

उपर्युक्त में से कौन-सा/से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिये, स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद्य अंगों की रक्षा करता है?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 3
- (d) केवल 1 और 3

उत्तर: (d)

स्रोत: डाउन टू अर्थ